HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5278/2026

Rajendra Kumar @ Raju S/o Shri Nathulal Meena, Aged About 30 Years, R/o Village Baasna, Police Station Papadda District Dausa, Rajasthan. (Presently Petitioner Is In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amitabh Vijaywargia
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Chaudhary, PP Mr. Mayank Gupta

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

09/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– चाकसू, जिला– जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 148/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 274, 275, 61(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 51(a)(i), 63 कॉपीराइट अधिनियम एवं धारा 102, 103 ट्रेड मार्क अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त मात्र वाहन संख्या आरजे 29 जीए 7109, जिसमें तथाकथित रूप से फर्जी व कूटरचित सोना सिक्का कंपनी का माल बरामद होना बताया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके मालिक के कहे अनुसार उक्त माल परिवहित किया जा रहा था। प्रार्थी/अभियुक्त को इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि उक्त माल कूटरचित है और कॉपीराइट एक्ट और ट्रेड मार्क एक्ट का उल्लंघन है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के

विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक एवं विद्वान् अधिवक्ता परिवादी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सोना सिक्का ब्रांड के नाम से तेल का परिवहन किया जा रहा था और इस प्रकार परिवादी कंपनी को भारी नुकसान कारित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की निशादेही पर अन्य सहअभियुक्त नरेन्द्र खंडेलवाल के कारखाने से सोना सिक्का ब्रांड मुद्रित कुल पांच टिन के पीपे बरामद हुए हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्ट रूप से आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त वाहन का चालक रहा है और उक्त वाहन के अतिरिक्त जिस स्थान से अन्य पांच टिन के पीपे बरामद हुए हैं, जिन पर सोना सिक्का ब्रांड मुद्रित किया हुआ था, वे अन्य सहअभियुक्त नरेन्द्र खंडेलवाल के कारखाने से संबंधित हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजेन्द्र कुमार उर्फ राजू पुत्र नाथूलाल मीना** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 57